


पत्रावली पत्रावली फरीकैन की बहस समाप्त की गई।

### निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया जिससे वादीगण का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 27 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादीगण का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 27 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण को उनकी पुश्तैनी प्रकरण की वादगत भूमि वाके रोही सलुण्डिया स्थित खाता सं. 229 के खेत ख.नं.135 रकबा 2.77 है., ख.नं. 323 रकबा 5.75 है.ख.नं.324 रकबा 0.22 है.,ख.नं.325 रकबा 0.14 है.,ख.नं.326 रकबा 3.20 है.,ख.नं.534 रकबा 3.87 है.,ख.नं.535 रकबा 3.97 है.,ख.नं.1006 रकबा 0.20 है.,ख.नं.1007 रकबा 0.35 है.,ख.नं.1021 रकबा 3.97 है.,ख.नं.1027 रकबा 1.15 है., कुल किता 11 कुल रकबा 25.59 हैक्टेयर एवं खाता सं. 230 के ख.नं.1039 रकबा 3.55 है.,ख.नं.1040 रकबा 3.41 है.,ख.नं.1041 रकबा 3.90 है.,ख.नं.1042 रकबा 7.96 है.,कुल किता 4 कुल रकबा 18.82 हैक्टेयर कुल खाता 2 कुल रकबा 44.41 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 15.15 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 1 ता 15 को संयुक्त रूप से 3.34 हैक्टेयर, प्रतिवादी सं. 16 ता 25 को 13.93 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी सं. 26 एवं 27 को 11.99 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में उक्त प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं पर्चा डिक्री जारी हो, साथ ही वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 27 के काउन्टर क्लेम बाबत खाता विभाजन स्वीकार किया जाकर आदेश प्रदान किये जाते हैं कि प्रकरण की वादगत भूमि वाके रोही सलुण्डिया स्थित खाता सं. 229 के

लगातार ..... 4

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोखा (बीकानेर)

खेत ख.नं.135 रकबा 2.77 है., ख.नं. 323 रकबा 5.75 है.ख.नं.324 रकबा 0.22 है.,ख.नं.325 रकबा 0.14 है.,ख.नं.326 रकबा 3.20 है.,ख.नं.534 रकबा 3.87 है.,ख.नं.535 रकबा 3.97 है.,ख.नं.1006 रकबा 0.20 है.,ख.नं.1007 रकबा 0.35 है.,ख.नं.1021 रकबा 3.97 है.,ख.नं.1027 रकबा 1.15 है., कुल किता 11 कुल रकबा 25.59 हैक्टर एवं खाता सं. 230 के ख.नं.1039 रकबा 3.55 है.,ख.नं. 1040 रकबा 3.41 है.,ख.नं.1041 रकबा 3.90 है.,ख.नं.1042 रकबा 7.96 है.,कुल किता 4 कुल रकबा 18.82 हैक्टर कुल खाता 2 कुल रकबा 44.41 हैक्टर भूमि उनके निहित हिस्से के खाता विभाजन के प्रस्ताव उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार करवाने एवं लगान पृथक-पृथक करने निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



*(Handwritten Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (रमेश देव)  
 नोखा (बिकानेर)  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 नोखा